



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

9415909006

33/11 केवी० उपसंस्थान परिसर चौबेपुर, कानपुर Email: ceeddchaubepur@gmail.com

पत्रांक :- 20457/वि०वि०ख०(द्वि०)/चौबेपुर/टी.सी.

दिनांक- 25/8/23

विषय :- टी०सी० राशि जमा करने हेतु।

सेवा में,

आवेदन सं० 1008316552  
(पूर्ण जमा योजना)

श्री दशरथ पुत्र श्री भजन लाल,  
ग्राम पलिया बास खेडा,  
ब्लाक ककवन, तहसील बिल्हौर,  
कानपुर नगर।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि 12 अ०श० विद्युत भार का निजी नलकूप विद्युत संयोजन 30मी०/दूरी का 11 के०वी० उपभोक्ता को प्रदान किया जायेगा। लम्बी लाइन तथा अधिक क्षमता रु० 1,10,386.00(एक लाख अट्ठासी हजार दो सौ निम्नानर्बे रुपये मात्र) निजी नलकूप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 3 माह के अन्दर जमा करने का कष्ट करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप संयोजन लेने के इच्छुक नहीं है, और स्वीकृत निरस्त कर दी जायेगी।

क्र०सं०	विवरण	घनराशि	अन्य घनराशि
1	प्रतिमूति घनराशि (सिक्वोरिटी)	3,600.00	
2	फिक्स लाइन चार्ज	2,036.00	
3	लाइन का खर्च घनराशि आपको वापस नहीं होगी	1,01,829.00	
4	मीटरिंग चार्ज	2,921.00	
5	भुगतान जो जमा करना है	110386.00	

- उपभोक्ता ने प्रकमण शुल्क 100.00 ऑन लाइन रसीद सं० P53773640 दिनांक- 22.08.2023 के द्वारा जमा किया।
- रुपया जमा करते समय खजांची को प्रकमण शुल्क की रसीद अवश्यक दिखायें।
- रुपया जमा करने के पश्चात अपनी रसीद सहित इस कार्यालय में/अथवा वर्तमान जो उ०प्र० सरकारी गजट के अनुसार मान्य है, के स्टाम्प पेपर, अपने दो गवाहों तथा वांछित प्रपत्र के साथ कार्यालय में अनुबन्ध करें, 1 रु० का रसीदी टिकट तथा फोटो साथ में लायें।
- मीटर निरीक्षण शुल्क हेड नं० 0043 बिजली पर कर एवं शुल्क/102 भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अधीन निरीक्षण शुल्क की जमा रसीद साथ में लेकर आयें।
- शट कंपिस्टर की खरीद रसीद साथ में लायें।
- वी० एण्ड एल० फार्म साथ में लायें।
- यदि किसी विवाद की स्थिति में लाइन में कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तित लाइन निर्माण का, विवाद का निस्तारण संबंधी खर्चा उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- उ०प्र० पावर कारपोरेशन के नियमानुसार उपभोक्ता के निजी नलकूप पर मीटर लगाना अनिवार्य होगा।
- प्राकलन की सम्पूर्ण घनराशि जमा करने के फलस्वरूप लाइन का कार्य भार स्वीकृत कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के नियमानुसार कराया जायेगा तथा
- विवाद का निस्तारण उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा। विभाग किसी प्रकार के लाइन निर्माण में विवाद के फलस्वरूप लाइन निर्मित न हो पाने का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- कोठरी के निर्माण के उपरान्त ही विद्युत का उपयोग होगा, बिना मीटर के विद्युत का उपयोग किये जाने पर संयोजन को अवैध माना जायेगा।
- गार्डिंग का भुगतान उपभोक्ता द्वारा ही वहन किया जायेगा।
- टी०सी० घनराशि जमा होने के उपरान्त सामग्री प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त होगी।

अधिशाषी अभियन्ता